न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2/
अपर सिविल जज (सी०डि०), रामपुर।

Reg No–177/2020
एफ०आर०सं० 106/2018
हीरालाल बनाम कमल आदि।
धारा–147, 323, 504, 506, 392 भा०दं०सं०
मु०अ०सं०–451/2017
थाना–अजीमनगर, जिला रामपुर।

दिनांक 13.12.2025

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। बाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी मुकदमा अनुपस्थित। प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं०–156/2017 मु०अ०सं० 451/2017 अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506, 392 भा०दं०सं०, थाना अजीमनगर द्वारा न्यायालय में प्रेषित की गयी।

आज नियत तिथि को भी बार–बार पुकार कराने पर भी परिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं है न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद में शिकायतकर्ता श्री हीरालाल प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.10.2017 दर्ज करायी गयी थी, जिसमें विवेचना उपरान्त अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी। न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2018 अंतिम आख्या दर्ज की गयी। विगत कई तिथियों से परिवादी उपस्थित नहीं। परिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामीला बजात खास अमल में लायी गयी। जिसके उपरान्त परिवादी अनुपस्थित रहा। परिवादी को आपत्ति करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं परंतु उसके द्वारा आपत्ति दाखिल नहीं की गयी। उक्त प्रकरण सन 2023 से लंबित है।

अतः उक्त प्रकरण में अंतिम आख्या को अनंतकाल तक विलंबित न रखते हुए **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं०–2981/एफ०टी०सी० सैल/इलाहाबाद दिनांकित 01.03.2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों व माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं–31/2012/एडमिन/जी–॥ दिनांकित 11.12.2012 के क्रम में फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–2520/2012 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत, जिसमें मा० उच न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके न्यायालयों में लंबित अंतिम आख्या को प्राथमिकता के आधार पर संभवतः अंतिम आख्या प्रस्तुत करने के 3 माह के अन्दर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है, को दृष्टिगत रखते हुए व उपरोक्त में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार अंतिम आख्या को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

<u>आदेश</u>

विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं०–13/2023, दिनांकित 23.06.2023 मु०अ०सं० 120/2023, अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०दं०सं०, थाना अजीमनगर, जिला रामपुर स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो

(प्रीति मोगा)
दिनांक 13.12.2025 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2,
अपर सिविल जज(सी०डि०), रामपुर।
ID NO.UP2377